फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर बनाम रामलाल पुत्र छोगाराम के वारिसान

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

प्रार्थना पत्र संख्या 05/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2020	आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) लूनकरनसर से उनके पत्र कमांक 10721 दिनांक 15.01.2020 के संलग्न प्राप्त रिपोर्ट एवं दस्तावेज के आधार पर मुरतीब हुई दर्ज रजिस्टर की जावें। इस प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार से है कि आवंटी रामलाल पुत्र छोगाराम सोनी निवासी कपूरीसर के वारिसान मुन्नीराम पुत्र रामलाल, शिवरतन पुत्र रामलाल सोनी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता स्वर्गीय रामलाल के नाम से संवत् 2017 में ग्राम काकड़वाला के खसरा नम्बर 65/486 की तादादी 39.03 बीघा आवंटन हुवा जिसके पश्चात् सन 1975 में उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने के कारण उक्त भूमि किमतन आवंटन कर पुख्ता आवंटन कर पट्टा जारी किया जिसमें से 19बीघा 12बिस्वा भूमि चक 2 बीएचएम की प्रार्थीगण के नाम दर्ज है शेष चक 4 बीएचएम की 12.01 बीघा उपनिवेशन क्षेत्र के बाहर होने के कारण ग्राम काकड़वाला में खसरा नम्बर 65/486 में 15.14 बीघा मे से उक्त 12.01 प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज न कर अराजीराज दर्ज कर दी गई जो वर्तमान में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 205 में 3.97 हैक्टेयर अराजीराज दर्ज हैं जिसे अराजीराज के स्थान पर पुनः स्वर्गीय रामलाल के हम वारिसान के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश चाहे गए। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के पिता रामलाल छोगाराम जाति सुनार निवासी कपूरीसर के नाम ग्राम काकड़वाला के खसरा नम्बर 65/486 में 39.03 बीघा भूमि किस्म बारानी मुताबिक रिकॉर्ड संवत् 2017 गैर खातेदारी दर्ज थी जो जमाबंदी सवत् 2024 में भी गैर खातेदार दर्ज है मुताबिक सूची नम्बर 4 व 8 की जो उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार की गई के अनुसार चक 2 बीएचएम में 19.12 बीघा व चक 4 बीएचएम में 18.14 बीघा कुल 38 बीघा दर्ज हुई एवं 1 बीघा भूमि फिटिंग के कारण कम हुई । जिसमें से प्रार्थीगण के पिता को जरिये मिसल नम्बर 23 दिनांक 23.08.1975 को उक्त दोनो चको में 31.13 बीघा का पुख्ता आवंटन हुवा जिसकी खातेदारी सनद पुस्तक नम्बर 337 कम संख्या 03 दिनांक 31.08.1990 को 31.14 बीघा की जारी की गई चक 2 बीएचएम की आवंटित भूमि वर्तमान में रामलाल के वारिस शिवरतन के नाम से मु.नं. 85/50 में 8.08 बीघा व मनीराम के नाम मु.नं. 85/42 में 10.04, 85/43 में 1 बीघा कुल 11.04 बीघा दर्ज हो गई । इस प्रकार दोनो पुत्रों के नाम से 19.12 बीघा वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हैं। चक 4 बीएचएम के मु.नं. 85/41, 85/42, 85/49 व 85/50 की संशोधित चक प्लान के अनुसार उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होकर ग्राम काकड़वाला के खसरा नम्बर 65/486 तादादी 15.14 बीघा आराजीराज दर्ज हो गई । मुताबिक सेल रजिस्टर खाता संख्या 8 चक 4 बीएचएम के मु.नं. 85/41, 85/42, 85/49 व 85/50 की 12.01 बीघा रामलाल पुत्र छोगाराम के नाम आवंटन का अंकन है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा चकप्लान स्कीम से बाहर का नोट अंकित हैं। उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Scanned by CamScanner

ग्राम काकड़वाला के खसरा नमं. 65/486 की तादादी 15.14 बीघा किस्म आराजीराज के सेटलमेन्ट के बाद तैयार रिकॉर्ड में नये खसरा नम्बर 205 तादादी 3.97 हैक्टेयर भूमि आराजीराज दर्ज है जिसपर प्रार्थीगण का कब्जा कास्त है जिसकी धारा 91 की कार्यवाही जैरकार हैं। तहसीलदार लूनकरनसर ने अपनी रिपोर्ट में उक्त रकबा मुताबिक अंकन जमाबंदी संवत् 2024 एवं स्कीम से बाहर होने से पूर्व प्रार्थीगण के पिता के नाम पुख्ता आवंटन होने के कारण उक्त रकबा को प्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदार दर्ज करने की अनुसंशा की हैं ।

हमने तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया रिकॉर्ड के अवलोकन एवं मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विवादित भूमि ग्राम काकड़वाला के पुराना खसरा नम्बर 65/486 की 39.03 बीघा भूमि पुश्तेनी गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी जो उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर प्रार्थीगण के पिता को उसकी पात्रता के अनुसार 31.13 बीघा भूमि का किमतन पुख्ता आवंटन हुवा जिसमें से चक 2 बीएचएम की 19.12 बीघा भूमि वर्तमान में आवंटी के वारिसान शिवरतन व मुनीराम के नाम से खातेदार दर्ज हैं शेष भुमि 12.01 बीघा भूमि चक 4 बीएचएम से संशोधित चक प्लान में स्कीम से बाहर होने के कारण पुनः प्रार्थीगण के पिता रामलाल पुत्र छोगाराम के नाम ग्राम काकड़वाला के खसरा नम्बर 65/486 में 12.01 बीघा गैर खातेदार दर्ज की जानी चाहिये थी के बजाय अमलामाल के द्वारा सहवन से आराजीराज दर्ज कर दी गई ।

अतः तहसीदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न प्राप्त दस्तावेज व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम काकड़वाला के वर्तमान खसरा नम्बर 205 तादादी रकबा 3.97 हैक्टेयर में से 3.05 हैक्टेयर (12.01 बीघा) रामलाल पुत्र छोगाराम सुनार निवासी कपूरीसर के नाम गैर खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो ।

आदेश दिनांक 24.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जा कर सरे इजलास सुनाया गया ।

24/1/2020

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2020.02.04 17:01:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: